न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू
पीठासीन अधिकारी अर्पिता सोनी (आरएएस)

दावा संख्या 215 /2017

उनवान

1.बैजानाथ पुत्र नन्दलाल जाति नाथ निवासी इब्राहीमपुरा तह0 पीपलू जिला टोंक
कुल 2 कस प्रार्थीगण

बनाम

1.नीर पुत्र नन्दलाल जाति नाथ निवासी इब्राहीमपुरा तह0 पीपलू जिला टोंक
कुल 7 कस

प्रतिवादीगण

अधिवक्ता वादी :- श्री कैलाश चौधरी
अधिवक्ता प्रतिवादी :- श्री श्यामसुन्द विजय निर्णय दिनांक : 28.3.2018

दावा बाबत उद्घोषणा , इस्तकार हक
अनतर्गत धारा 88,92,व 188 रा0टि0एक्ट 1955

निर्णय

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि आराजीयात जमाबन्दी सम्वत 2070 से 2073 में खाता संख्या 89 में खसरा 289, 290 कुल किता 2 कुल रकबा 5 बीधा 09 बिस्वा वाके ग्राम इब्राहीमपुरा में स्थित है जो कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पिता की पैतृक भूमि है , नन्दलाल पि0 मु0 लालूनाथ जो कि वर्ष 2005 में रामदेवरा बाबा रामदेव के मेले में गया था और आज तक वापिस धर नही आया आज से करीब 12–13 वर्षो से ही लापता है उसका कोई अता पता नही है जिसकी सूचना अब तक वादीगण व प्रतिवादीगण एवं उसके परिवारजनों सगे सबंधी को नही है। पक्षकारान काफी तलाश करने के उपरान्त भी पक्षकारान के पिता नन्दलाल आज तक भी कोई पता नही चला है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इस अवधि में उसे किसी ने देखा नही है और न ही उसके बारे में किसी से कुछ सुना है। इस कारण उसकें सम्बन्ध में यही अवधारण की जायेगी कि वह मर चुका है इसके समर्थन में ग्राम पंचायत जवाली का प्रमाण पत्र भी जारी किया गया है । पक्षकारान की राजस्व रेकार्ड में उक्त भूमि में 1/4 हिस्सा वादीगण व 3/4 हिस्सा प्रतिवादीगण का बनता है इसी अनुरूप वादीगण एवं प्रतिवादीगण को उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार धोषित किया जावे । तथा नन्दलाल का राजस्व रेकार्ड से नाम हटाया जाना न्याय संगत है। क्योकि पिछले 12–13 साल से पक्षकारो को किसी प्रकार का कोई लाभ नही ले पा रहे है। अतः दावा डिकी किया जाकर उक्त भूमि में वादीगण कों 1/4 हिस्सा व 3/4 हिस्सा प्रतिवादीगण 1 ता 6 को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाने का आदेश प्रदान करे ।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण की गई प्रतिवादीगण की ओर से प्रतिवादीगण एवं अधिवक्ता श्री श्याम सुन्दर विजय ने उपस्थित होकर मय वकालत नामा व इकाबाली जवाब पेश कर निवेदन किया की दावा वादीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष के अनुरूप डिकी किया जावे ।

अर्पिता

हमने बहस अभिभाषकगण सुनी। प्रस्तुत पत्रावली में प्रतिवादीगण की और से प्रस्तुत इकबाली जवाब दावा , शपथ पत्र, पहचान पत्र, एवं वादीगण के शपथ पत्र ,पहचान पत्र व ग्राम पंचायत जवाली का प्रमाण पत्र के आधार पर जो की वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 ता 6 नन्दलाल के वारिसान है। तथा नन्दलाल पक्षकारान के पिता जो लगभग 12–13 साल पहले से लापता होने से प्रस्तुत भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 107 में भी स्पष्ट है कि प्रश्नगत व्यक्ति की मृत्यु का अनुमान अपने निवास स्थान से लापता व्यक्ति लगभग 7 साल की अवधि व्यतीत हो जाने पर न कभी देखा न सुना गया तो वह धारा 107 के अन्तर्गत यही अनुमानित होगा कि वह मर गया है। जों कि उक्त वाद में लागू होती है। अतः प्रस्तुत प्रकरण में लोक अदालत की भावना एवं न्यायहित को ध्यान में रखते हुए दावा इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि आराजीयात जमाबन्दी सम्वत 2070 से 2073 में खाता संख्या 89 में खसरा 289, 290 कुल किता 2 कुल रकबा 5 बीधा 09 बिस्वा वाके ग्राम इब्राहीमपुरा में स्थित वादीगण को 1/4 हिस्सा का एवं 3/4 हिस्सा का प्रतिवादीगण 1 ता 6 को रिकार्डेड खातेदार काबिज काश्तकार घोषित किया जाता है । तथा तहसीलदार पीपलू को आदेश दिया दिया जाता है कि वर्तमान में राजस्व रेकार्ड में अंकित नन्दलाल पि0मु0 लालूनाथ पुत्र भौलूनाथ का नाम हटाया जाकर उक्तानुसार हिस्सा दर्ज किया जावें । डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28.3.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर इजलास सुनाया गया।

अर्पिता

(अर्पिता सोनी)
आरएएस
उपखण्ड अधिकारी पीपलू